

2023/184

13/6/23

20/6/23

जिला स्टेशनरी, बिक्रमपुर 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेकी स्टेशन

(कायदा - 129)

जनरल रूलस सिविल रूलस 129 अपेन्डेंस फार्म नम्बर 8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

क्रिम मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फंसवा 4	फंसवा क्रमांक 5
111-128 प्रार्थी प्र	131/23	02/6/23	20/6/23 AAI	

अनवान

श्री ~~रुकमोदेवी / शम्भुलाल~~ श्री ~~मोती / किराग चाकड~~
 निवासी ~~बाड़ा~~ निवासी ~~मिलर बाड़ा~~

अभिभवता बादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अभिभवता बादी / प्रार्थी / अपीलान्त

डिफ्रीदार

रेस्पॉडेंट / बद्रयूनाथ

परमाश्र चाकड

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां

सम्मानित

बनाम

मोदी

किस्य मुकदमा

111-128

नम्बर

131

/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/6/2023	<p>प्रार्थना पत्र रीगे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हो। पत्रावली चारते तलबी/जवाब दिनांक 13/7/2023 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां</p>	<p>विपक्षी की बहू तलबी प्राप्त होकर शामिल पत्रावली की गई।</p>
13/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 27/6/23 को चारते पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी</p>	
20/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पार्थी उपस्थित। विपक्षीगण की बाए तामील प्राप्त हो चुकी है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी के विरुद्ध छ-पक्षीय आदेश प्रारित किए गए। पत्रावली नम्बर से कम होकर प्रारित कर रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 131/23

तारीख 2/6/2

रुकमादेवी पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम

मोती पुत्र किशना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक: 20/06/23

प्रार्थना पत्र रुकमादेवी पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 594 पर अंकित आराजी संख्या 370/2 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आराजी संख्या 397 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावेँ साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के अवलोकन से प्रार्थीया वादग्रस्त आराजीयात की खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्रार्थीया अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 594 पर अंकित आराजी संख्या 370/2 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आराजी संख्या 397 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावेँ।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया




उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या - 131/23

तारीख 20/06/23

प्रेषिति :-

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 131/23 / 2023 पत्थरगढ़ी बाबत।

रुकमादेवी पत्नि शम्भुलाल जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....प्रार्थीया

बनाम


मोती पुत्र किशना जाति धाकड उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी थडौदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है कि मौजा थडौदा पटवार हल्का थडौदा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 594 पर अंकित आराजी संख्या 370/2 रकबा 0.2590 हैक्टेयर, आराजी संख्या 397 रकबा 0.1457 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि की वशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढ़ी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षकर बिजौलियाँ सुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौका प्राथीया अदा करे। पत्थरगढ़ी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढ़ी करे।

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा